



राजस्थान सरकार
वित्त (मार्गोपाय) विभाग

क्रमांक:प.16(1)वि.मा./2024

जयपुर, दिनांक 06 फरवरी, 2025

अधिसूचना

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के पत्रांक एफ 7(2)(7)पंचा/रानिआ/2024/342 दिनांक 27.01.2025 द्वारा राज्य के विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों (जिन पदों का 05 वर्षीय कार्यकाल जनवरी, 2025 एवं मार्च, 2025 में सम्पूर्ण हो रहा है, को छोड़कर) जिलों में संलग्न सूची अनुसार उप-चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की गई है। जिला परिषद सदस्यों/पंचायत समिति सदस्यों, सरपंचों एवं पंचों के मतदान की तिथि 14.02.2025 (शुक्रवार) को घोषित की गई है।

इस सन्दर्भ में भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 20/25/56 पब./1 दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पठित, परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अधीन राजस्थान के राज्यपाल एतद्वारा घोषणा करते हैं कि राजस्थान की उक्त पंचायती राज संस्थाओं में (संलग्न सूची अनुसार) मतदान की तिथि दिनांक 14.02.2025 (शुक्रवार) को मतदान होने की स्थिति में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में परक्राम्य लिखित अधिनियम (NI Act) 1881 के अन्तर्गत अवकाश रहेगा, ताकि उन क्षेत्रों के मतदाता मतदान कर सकें।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार

राज्यपाल की आज्ञा से,

(बृजेश किशोर शर्मा)

निदेशक (बजट)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: 7(2)(7)/पंचा/रानिआ/2024/ 543

दिनांक: 10.02.2025

प्रतिलिपि संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचा.चुनाव) राजस्थान, को पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव माह फरवरी, 2025 - परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के अन्तर्गत अवकाश के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अम्बा लाल मीणा)

उप सचिव